प्रतिलिपि पत्र संख्या-ई.सं.2130/जी0एस0 दिनांक 01.11.2006 द्वारा महामहिम कुलाधिपति जी के अनु सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, लखनऊ सम्बोधित कुलसचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर ।

आपके पत्रांक सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब0/887/2006 दिनांक 30.06.2006 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ0प्र0राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-37(2) के अधीन सरस्वती महिला महाविद्यालय, विजय नगर, कानपुर नगर को स्नातक स्तर पर कला संकायान्तर्गत हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, अंग्रेजी भाषा, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र एवं गृहविज्ञान विषयों में तथा विज्ञान संकाय के अंतर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जन्तु विज्ञान, एवं वनस्पति विज्ञान विषयों में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 1.7.2006 से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है:-

1. महाविद्यालय उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगा ।
2. यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के सुसंगत प्रावधानों के अधीन महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब0/ 1583 /2006 दिनांक 14/11/06

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्धक, सरस्वती महिला महाविद्यालय, विजय नगर, कानपुर नगर को [illegible] महामहिम कुलाधिपति महोदय के उपरोक्त निर्देशों का [illegible] सुनिश्चित [illegible] कुलपति जी के आदेशानुसार सूचित करना है कि उक्त वर्णित विषयों में प्रवेश शासनादेश संख्या [illegible] 2006-17(18)05 दिनांक 28 मार्च 2006 तथा रिट याचिका संख्या 2830(एम0बी0)2004 में पारित निर्णय दिनांक [illegible].2005 के अधीन होगा । प्राचार्य, शिक्षकों का अनुमोदन पत्र, नियुक्ति पत्र, [illegible], अनुबन्ध पत्र [illegible] का शपथ पत्र (साक्ष्य सहित) विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करायें [illegible] ।
2. सिस्टम मैनेजर, सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर ।
3. इंचार्ज, ई0डी0पी0सेन्टर, सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर ।
4. उप कुलसचिव(परीक्षा) सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर ।

(महेश चन्द्र)
कुलसचिव

Principal
Saraswati Mahila Mahavidyalaya
Vijay Nagar, Kanpur